प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत अभियोजन के लिए मामलों की पहचान और प्रसंस्करण की प्रक्रिया

परिपत्र संख्या 24/2019 [एफ.सं. 285/08/2014-आईटी(आईएनवी.वी)/349], दिनांक 9-9-2019 परिपत्र संख्या 5/2020 [एफ.सं. 285/08/2014-आईटी(आईएनवी.वी)/712], दिनांक 23-1-2020 द्वारा संशोधित

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए मामलों की पहचान करने और उनकी जांच करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अध्याय XXII को लागू करने के पीछे के उद्देश्य को प्राप्त करने और गंभीर मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के इरादे पर किसी भी संदेह को दूर करने के उद्देश्य से, यह परिपत्र जारी किया गया है।

2. अभियोजन एक आपराधिक कार्यवाही है। इसलिए, एकत्रित साक्ष्य, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में परिभाषित अपराध और अपराध के आधार पर, अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल योग्य मामलों में ही मुकदमा चलाया जाए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिनियम की धारा 119 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में अभियोजन शुरू करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित करता है।

i. धारा 276ख के तहत अपराध: अध्याय XII-D या XVII-B के तहत केंद्र सरकार के क्रेडिट में कर का भुगतान करने में विफलता।

ऐसे मामले जहां स्रोत पर काटे गए कर का भुगतान न करने की राशि 25 लाख रुपये या उससे कम है, और जमा करने में देरी देय तिथि से 60 दिनों से कम है, सामान्य परिस्थितियों में अभियोजन के लिए संसाधित नहीं की जाएगी। आदतन चूककर्ताओं जैसे असाधारण मामलों में, प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अभियोजन केवल दो CCIT/DGIT रैंक के अधिकारियों के कॉलेजियम की पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति से शुरू किया जा सकता है जैसा कि पैरा 3 में उल्लिखित है।

ii. धारा 276खख के तहत अपराध: स्रोत पर एकत्र किए गए कर का भुगतान करने में विफलता।

ऊपर पैरा 2.i के समान दृष्टिकोण।

iii. धारा 276ग (1) के तहत अपराध: कर से बचने का जानबूझकर प्रयास, आदि।

ऐसे मामले जहां चोरी की जाने वाली राशि या कम रिपोर्ट की गई आय पर कर रु 25 लाख रुपये या उससे कम की आय वाले किसी भी मामले में, पैरा 3 में उल्लिखित दो सीसीआईटी/डीजीआईटी रैंक के अधिकारियों के कॉलेजियम की पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति के अलावा अभियोजन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। इसके अलावा, इस धारा के तहत अभियोजन आमतौर पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जुर्माना लगाने के आदेश की पुष्टि के बाद शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, धारा 132/132ए/133ए के तहत कवर किए गए मामलों सहित अन्य मामलों में अभियोजन, परिपत्र के पैरा 3 में उल्लिखित दो सीसीआईटी/डीजीआईटी रैंक के अधिकारियों के कॉलेजियम की पूर्व स्वीकृति के साथ, आयकर प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में शुरू किया जा सकता है।] iv. धारा 276सीसी के तहत अपराधः आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता। ऐसे मामले जहां कर की राशि, जो विफलता का पता न चलने पर चोरी हो जाती, रु. 25 लाख रुपये या उससे कम की राशि वाले अपराधों पर अभियोजन की प्रक्रिया दो सीसीआईटी/डीजीआईटी रैंक के अधिकारियों के कॉलेजियम की पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति के अलावा नहीं की जाएगी, जैसा कि पैरा 3 में उल्लेख किया गया है।

3. इस परिपत्र के प्रयोजनों के लिए, दो सीसीआईटी/डीजीआईटी रैंक के अधिकारियों के कॉलेजियम के गठन का अर्थ निम्नलिखित होगा-

अधिनियम की धारा 279(1) के अनुसार, अध्याय XXII के तहत अपराधों के लिए मंजूरी देने वाला प्राधिकारी प्रधान आयुक्त या आयुक्त या आयुक्त (अपील) या उपयुक्त प्राधिकारी है। किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की उचित जांच करने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल अनुलग्नक में निर्धारित सीमा से नीचे के योग्य मामलों को ही अभियोजन शिकायत दर्ज करने के लिए चुना जाता है, ऐसा मंजूरी देने वाला प्राधिकारी दो सीसीआईटी/डीजीआईटी रैंक के अधिकारियों के कॉलेजियम की पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति लेगा, जिसमें सीसीआईटी/डीजीआईटी भी शामिल होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में मामला आता है कॉलेजियम के दो सीसीआईटी/डीजीआईटी रैंक के अधिकारियों के बीच असहमति की स्थिति में, मामले को प्रिंसिपल सीसीआईटी (सीसीए) को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रिंसिपल सीसीआईटी (सीसीए) कॉलेजियम के दो अधिकारियों में से एक है, तो असहमति की स्थिति में प्रिंसिपल सीसीआईटी (सीसीए) का निर्णय अंतिम होगा।

4. अधिनियम के तहत अभियोजन योग्य अपराधों की सूची जिसमें अनुमोदन प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया गया है, संलग्न है।

5. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा और उन सभी लंबित मामलों पर लागू होगा, जिनमें शिकायत दर्ज की जानी बाकी है।